



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या - 955 वर्ष 2026

नूर आलम

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	सैयद शाहनवाज़ शाह
विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

श्री एस. एस. शाह, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, की ओर से अधिकृत श्री अवि प्रताप सिंह राघव; तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह को सुना; और अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वर्तमान ज़मानत अर्जी आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि उसे, पुलिस थाना नौचंदी, ज़िला मेरठ में पंजीकृत, उत्तर प्रदेश गिराहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के अंतर्गत दर्ज 'केस क्राइम संख्या 435, वर्ष 2025' में, विचारण के लंबित रहने के दौरान ज़मानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। 'गैंग-चार्ट' में उल्लिखित आपराधिक इतिहास के संबंध में, ज़मानत अर्जी के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र में स्पष्टीकरण दिया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन करते हैं कि गैंग-चार्ट में उल्लिखित सभी मामलों में आवेदक को पहले ही ज़मानत पर रिहा किया जा चुका है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आगे यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, सरगना अथवा आयोजक नहीं है; और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (b) में वर्णित किसी गिरोह की गतिविधियों में न तो कोई दुष्प्रेरण किया है और न ही कोई सहायता प्रदान की है। उपर्युक्त मामले के अतिरिक्त आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक द्वारा न्यायिक प्रक्रिया से पलायन करने अथवा गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो दिनांक 08.12.2025 से जेल में निरुद्ध है, यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस स्वतंत्रता का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लंबित मामलों को देखते हुए, मुकदमे के जल्द समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2020 (11) एससीसी 648** मामले में दिए गए एक निर्णय पर भरोसा जताया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि किसी आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित होना, अपने आप में, जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता।

इसके विपरीत, विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध नहीं कर सके, और न ही वे आवेदक के खिलाफ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तैयार किए गए 'गैंग-चार्ट' में दर्शाए गए मामले के अलावा कोई अन्य मामला इंगित कर सके।

तथ्यों की समग्रता, मामले की प्रकृति और रिकॉर्ड से परिलक्षित साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को भी ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला मानता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक, नूर आलम को, उपर्युक्त केस क्राइम नंबर में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उसी राशि का एक व्यक्तिगत मुचलका और दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए-

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, अथवा वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष, निम्नलिखित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय किए जाने और (iii) बयान दर्ज किए जाने के लिए निर्धारित तिथियाँ।
- (iv) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित उन तिथियों पर किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेगा, जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों।
- (v) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक निर्धारित तिथि पर, या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत अर्जी के निपटारे तक ही सीमित है, और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा। निचली अदालत, इस आदेश में कही गई बातों से अप्रभावित रहते हुए, पेश किए गए सबूतों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

16 जनवरी, 2026

न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।